

2930

To
The District Judge
Jhansi

No ^B 399 / IV-2918 / Admin A dated 7.1.06

Subject - Transfer T. A bill amounting to Rs 11931=00 for the month of June 2004 of Sri Babu Ram Civil Judge (Junior Division) Mauzanpur Jhansi consequent upon journey performed from Varanasi to Mauzanpur Jhansi

Sir
With reference to your letter NO 1783/IX dated 16-9-2005, I am directed to return herewith Transfer T. A bill along with enclosures of Sri Babu Ram Civil Judge, (Junior Division) Mauzanpur, Jhansi with following objections

1:- In your letter dated 16-9-2005 you have mentioned that Budget was allocated by this Court through letter NO. 3105/Admin / B- (Ind) Section dated 25-5-2005 for payment of the T. A bill amounting to Rs 11931=00 to the officer concerned. A copy of letter by which you have requested to this Court for allocation of the aforesaid Budget is to be submitted

DR(M)
may kindly see the draft and issue
PK Srivastava
19.12.05
19.12.05
05.07.05

Registrar (B)
May like to approve
20/12/05

Approved
20/12/05

Issue
21/12/05

Every T. A bill should be preferred within one year from the date of its becoming due by the claimant. For ascertaining the claim the date of preferring the T. A. by Sri Babu Ram, Civil Judge (Junior Division) is to be mentioned below his signature.

B. Sri Babu Ram has claimed fare for five adults and two minor. The details of his family members and their age to be mentioned on the T. A bill. Certificate to the effect that the family members for which the T. A is claimed fully dependent upon him.

4 - Revenue stamp is to be affixed on the T.A bill

5. Following three certificates are to be mentioned on the T.A bill of Sri Babu Ram by you in the capacity of Controlling officer

(A) That the claim is genuine and admissible and is in order.

(B) That it is being claimed for the first time and has not drawn before.

(C) That the necessary entries have been made in the office record in such a way that double drawn would not be possible.

I am therefore to request you kindly to remove the aforesaid objections and resubmit T.A bill of Sri Babu Ram to the Court at an early date so that further necessary action may be taken in the matter.

Encl - ~~as above~~
T.A bill of Sri Babu Ram along with enclosures.

Yours faithfully
Jewalavara
Deputy Registrar

14
NO 350 / IV - 2918 / Admin A dated 7.1.06
Copy forwarded to Sri Babu Ram, Civil Judge
(Jurisdiction Division) Mauwaripur, Thane; for
information and necessary action

Jewalavara
Deputy Registrar

3 Copies
2 Copies
9691

प्रेषक,

जिला न्यायाधीश,
झांसी।

सेवा में,

निबन्धक बजट,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

Register No.	18292
Date	29/10
Serial No.	12

29/10/05

5/11/05
22-11-05

245
6/10/05

पत्र सं०: 17 03 / 12 , दिनांक- सितम्बर, 16, 2005

विषय:- जिला न्यायिक अधिवृत्तान, झांसी में कार्यरत कुछ न्यायिक अधिकारियों के स्थानान्तरण भत्ता देयको की पूर्व सम्परीक्षा कराये जाने के संबंध में :

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से यह निवेदन करना है कि श्री संजय शंकर पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री महेन्द्र कुमार आर्या, सिविल जज प्रथमवर्ग, झांसी, कु० मन्जुला सरकार, अपर सिविल जज, अवरवर्ग, कक्ष सं०-11, झांसी एवं श्री बाबूराम, सिविल जज अवरवर्ग, मऊरानीपुर जिला-झांसी के यात्रा भत्ता देयक, जो वर्ष-2004-2005 से सम्बन्धित हैं, के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 3105/ एडमिन० बी- द्वितीय० अनुभाग दिनांक-25.5.2005 के माध्यम से अनुदान क्रमशः 13,170/-, 12,211/-, 6,646/-, 11,931/- आबंटित किया गया। अनुदान आबंटन संबंधी आदेश इस कार्यालय में दिनांक - 12.7.2005 को प्राप्त होने के उपरान्त उपर्युक्त अधिकारियों के प्रश्नगत स्थानान्तरण देयकों को भुगतान हेतु कोषागार झांसी में प्रस्तुत करने पर वहाँ से यह आपत्ति लगाई गई है कि देयक कालबाधित हो गये हैं, अतः पूर्व सम्परीक्षा अपेक्षित है। प्रश्नगत देयक वित्तीय वर्ष- 2004-2005 से सम्बन्धित है, किन्तु वित्तीय वर्ष 2004-05 में इस हेतु कोई अनुदान माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त न होने के कारण उन्हें कोषागार नहीं भेजा जा सका। इस वित्तीय वर्ष 2005-2006 में अनुदान प्राप्त होने पर प्रश्नगत देयकों को कोषागार भेजने पर उपर्युक्त आपत्ति लगाई गई है। अतः इन देयकों के सम्बन्ध में पूर्व सम्परीक्षा आवेदित है।

orig. in IV/2504

13 3716
So Admin. M/A

24

D.R.M.
28/10/05

18
with ER

17 OCT 2005

in S.M. Singh SO.)

D.R.M.
8/11/05

San Parney
RAJ
24.11.05

Ar

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सभी तथ्यों को माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए प्रश्नगत देयकों के संबंध में पूर्व सम्परीक्षा सम्बन्धी आदेशा माननीय उच्च न्यायालय से कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक:- प्रश्नगत मूल देयक

भवदीय

H. R. Jaiswal

॥ सा के० स्वर्णवाल ॥
जिला न्यायाधीश, झाँसी ।
जिला जल

२३/१२/२०१९

प्रेषक,

जिला न्यायाधीश,
झाँसी।

सेवा में,

निबन्धक [बजट],
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्र सं०: 17 03 / 12 , दिनांक- सितम्बर, 16, 2005

विषय:- जिला न्यायिक अधिष्ठान, झाँसी में कार्यरत कुछ न्यायिक अधिकारियों के स्थानान्तरण भत्ता देयको की पूर्व सम्परीक्षा कराये जाने के संबंध में :

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से यह निवेदन करना है कि श्री संजय शंकर पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री महेन्द्र कुमार आर्या, सिविल जज प्रवरवर्ग, झाँसी, कुल मन्जुला सरकार, अपर सिविल जज, अवरवर्ग, कक्ष सं०-11, झाँसी एवं श्री बाबुराम, सिविल जज अवरवर्ग, मऊरानीपुर जिला-झाँसी के यात्रा भत्ता देयक, जो वर्ष-2004-2005 से सम्बन्धित हैं, के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 3105/ एडमिन [बी- द्वितीय] अनुभाग दिनांक-25.5.2005 के माध्यम से अनुदान क्रमशः 13,170/-, 12,211/-, 6,646/-, 11,931/- आबंटित किया गया। अनुदान आबंटन संबंधी आदेश इस कार्यालय में दिनांक - 12.7.2005 को प्राप्त होने के उपरान्त उपर्युक्त अधिकारियों के प्रश्नगत स्थानान्तरण देयकों को भुगतान हेतु कोषागार झाँसी में प्रस्तुत करने पर वहाँ से यह आपत्ति लगाई गई है कि देयक कालबाधित हो गये हैं, अतः पूर्व सम्परीक्षा अपेक्षित है। प्रश्नगत देयक वित्तीय वर्ष- 2004-2005 से सम्बन्धित है, किन्तु वित्तीय वर्ष 2004-05 में इस हेतु कोई अनुदान माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त न होने के कारण उन्हें कोषागार नहीं भेजा जा सका। इस वित्तीय वर्ष 2005-2006 में अनुदान प्राप्त होने पर प्रश्नगत देयकों को कोषागार भेजने पर उपर्युक्त आपत्ति लगाई गई है। अतः इन देयकों के सम्बन्ध में पूर्व सम्परीक्षा आवेदित है।

As

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सभी तथ्यों को माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए प्रश्नगत देयकों के संबंध में पूर्व सम्परीक्षा सम्बन्धी आदेश माननीय उच्च न्यायालय से कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक:- प्रश्नगत मूल देयक

भवदीय

H. R. Jaiswal

॥ एच. के. ए. स्वनवाल ॥
जिला न्यायाधीश, झांसी ।
जिला अदालत

नं. संख्या-21 (संशोधित)

वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-8 भाग-1

(दिले बजट संख्या: प्रस्तर 118, अजबक संत प्रस्तर 145, 146-ए) June '04

1-बनपद का नाम Thansi 2-कोषागार का नाम Thansi 3-देयक की अवधि (कब से कब तक)

4-रिकार्ड कोड

1	0	2
---	---	---

 5-(क) कोषागार का कोड

2	3
---	---

 6-देयक पंजी की क्रम-संख्या

0	3	5	3
---	---	---	---

5-(ख) उप कोषागार का कोड

0	0
---	---

 7-वाउचर संख्या

--	--	--	--

 8-वाउचर का दिनांक

--	--	--	--	--	--

 9-आयोजनागत/आयोजनेतर/मतदेय/भारित (जो अनुमत्य हो सही करें शेष को कट दें)

10-लेखाशीर्षक का 13 अंकों का कोड + चेक अंक

2	0	1	4	0	0	1	0	5	0	3	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11-आ. वि. अं. Sp. Judge (D.A.A.) Thansi A.D.S. Cr-Um 12-आ. वि. अं. का कोड

4	0	3	1
---	---	---	---

13-स्वयं के लिये आहरण हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम Judges Court, Thansi 14-अधिकृत का नाम Judges Court, Thansi (मुहर लगायी जा सकती है)

15-अनुदान संख्या

0	4	2
---	---	---

 16-सोम कोड

1

 17-नेक्टर कोड

2

 18-चेक लेखाकार का कोड

0	1
---	---

19-स्वीकृत आदेश संख्या यदि (आवश्यक हो प्रतिलिपि भी संलग्न करें) 20-स्वीकृत की तिथि

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण की मुहर	04-कांचा व्यवस्थापक	हेतु देय शुद्ध धनराशि	रु०	पै०
मुख्य लेखाशीर्षक :- <u>05 T.T.A.</u>	05-स्वान्तरण पर व्यय			
उप-संख्या :- <u>0014- Administration of Justice</u>	बजट की वर्तमान स्थिति			
उप-संख्या :- <u>105- Civil & Session Courts.</u>	मानक मूल्य	कम आरंभित बजट	दस घिन को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय	अभ्युक्ति
उप-संख्या :- <u>08- District & Session Judge</u>	रु०	रु०	रु०	रु०
अनुदान संख्या :-	04-यात्रा पर व्यय			
चेक का विवरण :- (केवल चेक द्वारा भुगतान किये जाने की स्थिति में भर जाना है)	05-स्वान्तरण पर व्यय	68297	49778	18519

(क) प्रमाणित किया जाता है कि देयक नहीं एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूरा करने के बाद देयक प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

Signature
आहरण एवं विवरण अधिकारी S.P.O.
बिला न्यायालय
बिला

(क) संलग्नक की सूची (यदि कोई हो) :-
1. Receipt of the fund.
2. Rly Inform. Mem

मुगतान हेतु रु० 11931.00 (अंकों में) Eleven thousand nine hundred thirty one only (शब्दों में) पारित किया।

निर्वाचन अधिकारी Signature
(पदनाम एवं कक्षा/विभाग की मुहर) बिला

(ख) (i) (केवल विल पर भुगतान करने वाले कोषागारों के प्रयोग हेतु) भारतीय स्टेट बैंक / उपकोषागार बिला

रु० _____ (अंकों में) _____ (शब्दों में) भुगतान करें।
कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।

(ii) (केवल चेक द्वारा भुगतान करने वाले कोषागारों हेतु) रु० _____ (अंकों में) _____ (शब्दों में) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।

(ग) भुगतान प्रमाणिका (प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर) Signature
आहरण एवं विवरण अधिकारी बिला

महानेखाकार कक्षा/विभाग बिला
स्वीकृत रु० _____
अनुमोदन सं. _____

सम्प्रेषक _____ सम्प्रेषाधिकारी _____

टिप्पणी :- भुगतान प्रपत्र सं. 6, 12, 12-ए, 12-बी, 12-सी एवं 12-डी के स्थान पर अब यह प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।


शारदा माँ ॐ

STD Code : 05178

Goods Carriers

MAURANIPUR (Jhansi) U. P.

निवास : 60851
P. P. : 60542



आकाश गुड्स कैरियर्स

लाल बाजार जय स्तम्भ के पास, मऊरानीपुर [झाँसी]

दिनांक 19-6-04

पतांक-

शहीद

श्री धाराम सिक्कि जज अनियर डिवाजन मऊरानीपुर
का घरेलू लामान पूरा ट्रक बनारस से मऊरानीपुर
तक ट्रक नं० UP70/L 8898 लिमादकर
माने की ट्रक मऊड़ा मुकलिक 8000/- अंकन ठोका
इजाजत लामान उलाने के बाद नकद प्राप्त
कर लीड है कला जहरत काम कावे।
रामदास गंगीया

व्यवस्थापक

19/6/04



ब्रिजक,
बाबूराम,
सिविल जज जू. डि. / जे. एम.,
मऊरानीपुर झांसी

सेवा में,
स्टेशन अधीक्षक,
मऊरानीपुर झांसी

महोदय,
कृपया बनारस रेलवे स्टेशन से मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन तक का
प्रक्रम में जी किराये की दर प्रति व्यक्ति एवं माल ढुलाई प्रति क्विंटल
की दर से किराया बताने की कृपा करें।

भवदास
16/7/04

बाबूराम

सिविल जज जू. डि. / जे. एम.,
मऊरानीपुर झांसी

दिनांक: 16.7.04

- ① from Varanasi to Mauzanpur - 467 km
- ② fare per passenger 1st Class - Rs 5.50 + 25 = 30.50/-
- ③ freight per quintal - Rs 55.60 by mail Exp.
in scale 'P'

16/7/04
MAUZANPUR